न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2021/102 **दायरा दिनांक : 30.07.2021**

उनवान

जगरूप आयु 76 वर्ष पुत्र श्री मोतीलाल जाति मेहर निवासी भूलोन तहसील छबडा जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— राज. सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा
2— श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बारां
3— श्रीमान प्रधानाचार्य राज0 सेकण्डरी विद्यालय भूलोन तहसील छबडा जिला बारां राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित — श्री ओ.पी. मेहता ।। अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री संदीप सक्सैना, ना.तहसीलदार, सरकारी पेरोकार रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 11.07.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या — 92/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91,व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम भूलोन तहसील छबडा में खाता संख्या 185 में ख.नं. 398/1 रकबा 4 बीघा, ख.नं. 399 की 1 बीघा 6 बिस्वा, ख.नं. 400 की 1 बीघा 7 बिस्वा स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी में सैकण्डरी स्कूल भूलोन के नाम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय आपके द्वार —2016 केम्प कोर्ट भूलोन पर वादी का वाद सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गयी है।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की साक्ष्य लिये बिना व सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना न्याय आपके द्वार 2016 कैम्प कोर्ट मुकाम भूलोन पर दिनांक 27.05.2016 को निर्णय व डिक्री पारित किया गया है जबकि न्याय आपके द्वारा 2016 में राजीनामा से ही निस्तारण करने के प्रकरण ही पंचायत मुख्यालयों पर शिविर आयोजित किये गये थे जिसके तहत् आपसी सहमति से मुकदमों का निस्तारण करना था किन्तु पीठासीन अधिकारी द्वारा कोर्ट कैम्प में मूल पत्रावली में प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 एवं धारा 151 सीपीसी का जो पूर्व से लगा हुआ था उसे भी खारिज किया गया व वादी/अपीलांट की कोई साक्ष्य नहीं ली गई न

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उसे कोई सुनवाई का अवसर दिया ना वह कैम्प कोर्ट में बुलाया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाना व विधि विरूद्ध न्याय आपके द्वार वर्ष 2016 कोर्ट कैम्प भूलोन में दिनांक 27–05–2016 को निर्णय व डिक्री पारित की गयी है जो खिलाफ कानून व विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। आराजी खसरा नं. 499 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा संवत 2012 से 2031 में धनजी व मोतीलाल के संयुक्त खाते में थी तथा खसरा नं. 400 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा बंशी पुत्र गोपाल मेहर के खाते में दर्ज थी जो उसके द्वारा वादी को उसके पिता मोतीलाल के समय ही मौखिक रूप से संभलाकर मध्यप्रदेश चले गये तब से ही अपीलांट व उसके पूर्व उसके पिता के पास ही चली आ रही है जिसमें मौके पर अपीलांट के पेड–पौधे लगे हुए है व मवेशियों का चारा रखा हुआ है तथा कण्डे/उपले का ढेर लगा रखा है व रहने के लिए निवास स्थान बना रखा है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया है व मनमाना व विधि विरूद्ध न्याय आपके द्वार शिविर में दिनांक 27.05.2016 को निर्णय व डिक्री पारित की गयी है जो खिलाफ कानून होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2016 न्याय आपके द्वार वर्ष 2016 कोर्ट कैम्प मुकाम भूलोन प्रकरण संख्या 92/2013 निरस्त फरमाया जाकर इस दिशा निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित की जावे कि अपीलांट को विधिवत् सुनवाई कर अपने साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाये।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 14.07.2021 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय बिल्कुल ही गलत है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2016 न्याय आपके द्वार वर्ष 2016 कोर्ट कैम्प मुकाम भूलोन प्रकरण संख्या 92/2013 निरस्त फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि उक्त आराजी सरकारी है जिसमें अपीलांट का कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2016 यथावत रखा जावे।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। अतः हम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी वर्तमान जमाबंदी सवंत 2062–2065 में सैकण्डरी स्कूल भूलोन के नाम दर्ज रिकार्ड है। वाद पत्र में वादी द्वारा कथन किया गया है कि 30–40 वर्ष पूर्व बंशीलाल व धनजी राधोगढ मध्यप्रदेश चले गये तथा अपनी जायदाद वादी के पिता मोतीलाल को संभला गये थे। तब से आज तक पहले वादी के पिता का व तत्पश्चात वादी का कब्जा काश्त है। वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि ख. नं. 399 तथा ख. नं. 400 पर वादी को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे। प्रस्तुत प्रकरण में वादी का विवादित आराजी के संबंध में कोई Locus standi नहीं प्रकट होता।

विवादित आराजी पूर्व में बंशीलाल–धनजी के नाम दर्ज रही हो तो भी उनके पुत्रों को चाराजोही करने का अधिकार हो सकता है अन्य किसी को नहीं। धनजी के पुत्रों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र लगाया था लेकिन प्रस्तुत अपील में उनके द्वारा पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया।

अपीलांट का विवादित जमीन के संबंध में उज्र करने का कोई Locus standi प्रकट नहीं होने तथा हमारी राय में एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी देने का कोई प्रावधान राजस्व न्यायालय को नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् प्रकट होता है। अपीलांट द्वारा अपील के तथ्यों को सिद्ध नहीं करने से हम अपील को खारिज करना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

जगरूप आयु 76 वर्ष पुत्र श्री मोतीलाल जाति मेहर
निवासी भूलोन तहसील छबडा जिला बारां
अपीलांट्स

बनाम

1– राज. सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा
2– श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बारां
3– श्रीमान प्रधानाचार्य राज0 सेकण्डरी विद्यालय भूलोन तहसील छबडा जिला बारां
राज0 ....
रेस्पोडेंट्स

अपील नं **2021/102**
मु.द.नं0 **92/2013**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी ,छबडा**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **27.05.2016**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **12 माह 06** सन् **2024**

श्री **ओ.पी. मेहता** ।। अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **संदीप सक्सैना,** ना. तहसीलदार, सरकारी पेरोकार रेस्पोडेंट की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2016 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **11 माह 07 सन् 2024** को जारी किया गया ।

मोहर

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)